



माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ०प्र०, पिन-247120)

Website- msuniversity.ac.in

Email ID - registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 28 / 07 / प्रशा० / MSU / 2023-24

दिनांक : 04-04-24

सेवा में,

01. प्राचार्य/प्राचार्या

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय

02. समन्वयक शैक्षणिक

विश्वविद्यालय परिसर

विषय: प्रदेश में लू-प्रकोप(Heat Wave) प्रबन्ध गतिविधियों के संचालन के संबंध में महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उप सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उ०प्र० शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-642/सत्तर-3-2024, दिनांक : 03 अप्रैल, 2024 के साथ संलग्न उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पत्र संख्या-1280/हीट वेव/2023, दिनांक : 15.03.2023 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि एनडीएमए द्वारा हीट वेव(लू) से बचाव हेतु शमन, तैयारी और प्रतिक्रिया के उचित उपाय किये जाने हेतु निर्गत दिशानिर्देशानुसार विभागीय एवं जनपद स्तरीय कार्य योजना तैयार/अद्यतन कर उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने तथा हीट वेव कार्य योजना प्रति एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा हीट वेव (लू) से बचाव एवं शमन हेतु की जा रही कार्यवाही की पाक्षिक रिपोर्ट प्राधिकरण की ई-मेल (upsdma@gmail.com) पर प्रेषित करने की अपेक्षा की गई है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न उप सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उ०प्र० शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-642/सत्तर-3-2024, दिनांक : 03 अप्रैल, 2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में हीट वेव(लू) से बचाव की जा रही कार्यवाही की पाक्षिक रिपोर्ट प्राधिकरण की ई-मेल (upsdma@gmail.com) पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


संलग्नक - यथोपरि।

भवदीय,


(वीरेन्द्र कुमार मौर्य)
कुलसचिव

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01. उप सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
02. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ।
03. कुलपति कार्यालय को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।


कुलसचिव

प्रेषक,

एस0पी0 मिश्र,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा उ0प्र0
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 03 अप्रैल, 2024

विषय: प्रदेश में लू-प्रकोप (Heat Wave) प्रबन्धन गतिविधियों के संचालन के सम्बंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पत्र संख्या-1280/ हीट वेव/2023, दिनांक 15.03.2023 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से एनडीएमए द्वारा हीट वेव (लू) से बचाव हेतु शमन, तैयारी और प्रतिक्रिया के उचित उपाय किये जाने हेतु निर्गत दिशानिर्देशानुसार विभागीय एवं जनपद स्तरीय कार्य योजना तैयार/अद्यतन कर उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने तथा हीट वेव कार्य योजना प्रति एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा हीट वेव (लू) से बचाव एवं शमन हेतु की जा रही कार्यवाही की पाक्षिक रिपोर्ट प्राधिकरण की ई-मेल (upsdma@gmail.com) पर प्रेषित करने की अपेक्षा की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पत्र संख्या-1280/ हीट वेव/2023, दिनांक 15.03.2023 की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में की गयी अपेक्षानुसार आवश्यक करने एवं कृत कार्यवाही की सूचना समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,



(एस0पी0 मिश्र)

उप सचिव।



उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

बी-1 ब्लॉक, प्रथम तल, पिकप मवन, गोमती नगर, लखनऊ-228010



संख्या- 1280 / हीट वेव / 2023

दिनांक: 15 मार्च, 2024

प्रेषक,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गृह, कृषि, पंचायती राज, नगर विकास, ग्राम्य विकास, श्रम, वन, पर्यावरण, परिवहन, पर्यटन, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स, पशुपालन, सूचना एवं जन सम्पर्क, ऊर्जा, महिला एवं बाल विकास, उच्च शिक्षा, बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

3. समस्त मण्डलायुक्त,

उत्तर प्रदेश।

4. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष,

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उ0प्र0।

विषय: प्रदेश में लू-प्रकोप (Heat Wave) प्रबंधन गतिविधियों के संचालन के संबंध में।

महोदय / महोदया,

कृपया संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 1-105/2023-PP(E-116517) दिनांक 06.03.2024 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वर्ष 2024 में प्रदेश में हीट-वेव न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के सम्बन्ध में निर्गत एडवाइजरी (संलग्न) का क्रियान्वयन सुनिश्चित किये जाने की अपेक्षा की गई है।

2. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा वर्तमान वर्ष के माह मार्च से मई, 2024 के मध्य सामान्य से अधिक तापमान होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है तथा इसी दौरान देश में आम चुनाव-2024 होना निर्धारित है। तत्क्रम में एनडीएमए द्वारा हीट वेव (लू) से बचाव हेतु शमन, तैयारी और प्रतिक्रिया के उचित उपाय किये जाने हेतु दिशानिर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसके अंतर्गत राज्य स्तर पर की जाने वाली गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं -

- एनडीएमए गाईडलाइन-2019 के अनुसार हीट वेव ऐक्शन प्लान (एचएपी) का अपडेशन करना;
- हीट वेव ऐक्शन प्लान के क्रियान्वयन हेतु उसकी प्रति समस्त जिलाधिकारियों एवं संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों को उपलब्ध कराना;
- हीट वेव प्रबंधन में सम्मिलित समस्त हितधारक विभागों और गैर-सरकारी संगठनों, आईएमडी के स्थानीय कार्यालयों, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों के साथ समन्वय और एसएमएस, व्हाट्सएप और सीएपी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके हीट वेव चेतावनियों का प्रसारण करना;

श्री अमित
20/3/2024



उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण



बी-1 ब्लॉक, प्रथम तल, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ-226010

- राज्य सरकार द्वारा प्रारंभिक चेतावनी संप्रेषित करने और एचएपी के कार्यान्वयन के समन्वय के लिए प्रत्येक स्तर (राज्य/जनपद/ब्लॉक स्तर) पर एक नोडल अधिकारी नामित करना;
 - राज्य सरकार द्वारा संबंधित विभागों/जनपदों/ब्लॉकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हीट वेव की स्थिति की समीक्षा और निगरानी करना;
 - सामूहिक कार्यक्रमों की अनुमति तभी दिया जाना जब संबंधित जिलों/शहरों के लिए गंभीर गर्मी की चेतावनी जारी नहीं की गई हो;
 - यातायात पुलिस कर्मियों के लिए छाया और पेय जल की व्यवस्था सुनिश्चित करना;
 - हीट वेव प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन के साथ नियमित रूप से समन्वय करना;
 - प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन/धार्मिक स्थलों पर लू से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था करना;
 - निर्वाचन के सभी चरणों के दौरान लू प्रबंधन के लिए चुनाव आयोग के साथ समन्वय करना;
 - राज्य स्तरीय संबंधित विभागों द्वारा की जाने वाली हीट वेव प्रबंधन संबंधी अन्य गतिविधियों हेतु एनडीएमए एडवाइजरी-2024 अनुपालनार्थ संलग्न है।
3. प्रदेश में हीट वेव (लू-प्रकोप) प्रभावी शमन, तैयारी एवं प्रतिक्रिया हेतु जनपद स्तर पर की जाने वाली कार्यवाहियाँ निम्नानुसार हैं:-
- राज्य हीट वेव कार्य योजना के अनुसार जनपदीय हीट वेव कार्य योजना बनाना/अद्यतन करना और क्रियान्वित करना;
 - जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारी नामित करना;
 - लू-प्रकोप से बचाव हेतु क्या करें और क्या न करें के विषय में जनता को सूचित एवं शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान संचालित करना;
 - लू-प्रकोप संबंधित बीमारियों के जोखिम और खतरों के संबंध में नियमित प्रेस कान्फ्रेंस का आयोजन करना;
 - लोक भवनों, मॉल, धार्मिक स्थलों इत्यादि में कूलिंग सेन्टर क्रियाशील करना;
 - लू-प्रकोप की स्थिति में गैर सरकारी संगठनों/सामुदायिक समूहों और व्यक्तियों से सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल एवं छाछ की व्यवस्था किये जाने का आग्रह करना;
 - बिजली वितरण/ट्रांसमिशन कंपनियों से सभी अस्पतालों और पीएचसी/सीएचसी/यूएचसी जैसे केन्द्रों पर बिजली आपूर्ति बनाए रखने को प्राथमिकता देने का आग्रह करना;
 - चुनाव मतदान के समय और अन्य सभी आवश्यक उपायों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करना;
 - स्थानीय स्तर पर जब भी आवश्यक हो स्कूलों, कॉलेजों, संस्थानों आदि का परिवर्तित समय लागू करना;
 - स्थानीय स्तर पर हीटवेव प्रबंधन हेतु अन्य आवश्यक उपाय करना।



उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण



बी-1 ब्लॉक, प्रथम तल, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ-226010

4. इस संबंध में कृपया अवगत कराना है कि उ.प्र. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अद्यतनीकृत उत्तर प्रदेश हीट वेव कार्य योजना-2024 प्राधिकरण की वेबसाइट (लिंक https://upsdma.up.nic.in/2024/Heat_Wave_Action_Plan_2024.pdf) पर उपलब्ध है। कार्य योजना में हीट वेव शमन, तैयारी, जनजागरूकता सामग्री, पूर्व चेतावनी प्रसार, प्रतिक्रिया, उपचार विधि इत्यादि के साथ-साथ समस्त संबंधित विभागों/प्रभागों/संस्थाओं की भूमिका एवं दायित्व का उल्लेख किया गया है। तदनुसार प्रदेश में हीट वेव प्रबंधन हेतु विभागीय/जनपद स्तरीय कार्य योजना बनाना और उसका क्रियान्वित किया जाना अपेक्षित है। हीट-वेव (लू) से बचाव संबंधी संलग्न आई0ई0सी0 सामग्री (पोस्टर/पैम्फलेट) प्राधिकरण की वेबसाइट (लिंक <https://upsdma.up.nic.in/heatwave.htm>) पर भी उपलब्ध हैं और प्राधिकरण द्वारा निर्मित लू से बचें और बचायें नामक रोचक कार्टून फिल्म प्राधिकरण की वेबसाइट एवं यूट्यूब (लिंक <https://www.youtube.com/watch?v=AQs0lvQZxxA>) पर उपलब्ध है जिसका उपयोग व्यापक जनजागरूकता हेतु किया जा सकता है।

5. अतः इस संबंध में अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार हीट वेव से बचाव हेतु विभागीय एवं जनपद स्तरीय कार्य योजना तैयार/अद्यतन कर उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने तथा हीटवेव कार्य योजना की प्रति एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा हीटवेव से बचाव एवं शमन हेतु की जा रही कार्यवाही की पाक्षिक रिपोर्ट प्राधिकरण की ई-मेल (upsdma@gmail.com) पर प्रेषित करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Ram

(राम केवल),

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संख्या व दिनांक तद्वै

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. पुलिस महानिदेशक, उ.प्र.।
3. महानिदेशक, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, उ.प्र.।
4. सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. समस्त नगर आयुक्त, उ.प्र. को इस आशय से प्रेषित कि कृपया संबंधित नगर की सिटी हीट कार्य योजना तैयार कराकर उसका क्रियान्वयन कराने का कष्ट करें।
6. निजी सहायक, मा0 उपाध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।
7. गार्ड फाइल।

(राम केवल),

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी